(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1628-दो/2005 - विरूद्ध आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2005 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 66/2004-05 अपील

बाबूराम (मृतक) पुत्र कीरतराम शर्मा
वारिस
1- ब्रह्मजीत शर्मा 2- रामजीलाल शर्मा
दोनों पुत्रगण स्वर्गीय बाबूराम शर्मा
निवासीगण सिलावली तहसील पोरसा
थाना नगरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश
3- रामगोविन्द्र शर्मा पुत्र बाबूराम
जे.सी. 166586 डब्ल्यू, सूबेदार
आर.टी.धर्मगुरू 15 राजपूताना रायफल्स
व्दारा 56 ए0पी0ओ0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

बलवीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम सिलावली तहसील पोरसा
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 22-4-2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 66/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2005 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सिलावली में भूमि सर्वे नंबर 649 रकबा 15 विसवा बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 562 तथा सर्वे कमांक 448 रकबा 3 वीघा 1 विसवा बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 563 स्थित है। बाबूराम पुत्र कीरतराम शर्मा ने अपर कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि बंदोवस्त के समय नक्शा बनाते समय त्रृटिवश सर्वे नंबर 563 के रकबा में से 2 विसवा भूमि कम करके सर्वे नंबर 562 में मिला दी गई है इसलिये नक्शा सुधार किया जाय। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 192/1999-2000 पंजीबद्व किया तथा जांच कर आदेश दिनांक 14--5-2001 से नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 281/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-02 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 89/तीन/03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 16-6-03 से निगरानी स्वीकार की गई एंव अपर आयुक्त तथा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। अपर कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर कमांक 58/02-03 बी 121 पर पंजीबद्व हुआ एंव पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25-2-05 पारित किया गया तथा अनावेदक व्दारा की गई आपत्ति को अस्वीकार करते हुये नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 66/2004-05 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2005 से अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया तथा अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव

अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनॉक 25-2-05 के अवलोकन से तथा अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदक व्दारा की गई आपत्ति के अवलोकन से स्थिति यह है अनावेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष आपत्ति यह की थी कि उसके व्दारा वादोक्त भूमि का सीमांकन कराया गया है एंव सीमांकन में सर्वे कमांक 562 तथा 563 की स्थिति स्पष्ट हो गई है जिसमें आवेदक का रकबा 3 वीघा 1 विसवा नप्ती में आया है एंव उसका पूरा रकबा 15 विसवा नप्ती में आया है जिस पर सीमाचिन्ह गड़े हुये हैं जो सीमांकन दिनांक 27-9-2000 से स्पष्ट है । अनावेदक ने गलत तथ्यों पर आधारित दावा निरस्त किये जाने की आपत्ति की है जिसे अपर कलेक्टर ने अमान्य किया है परन्तु किन कारणों से आवेदक की आपत्ति निरस्त की है - किसी प्रकार की विवेचना नहीं की है। विचार योग्य बिन्दु है कि दिनांक 27-9-2000 को वादग्रस्त भूमियों का जब सीमांकन हुआ है, सीमांकन को अंतिमता देने के पूर्व अथवा वाद में आवेदक ने सीमांकन आदेश के विरूद्व निगरानी नहीं की है जिसके कारण सीमांकन आदेश अंतिम रूप ले चुका है। इस सम्बन्ध में विद्वान अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना ने विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकाले हैं जिनमें हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 66/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2005 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर